8.2 ग्रिड संयोजित सोलर रूफटॉप परियोजनायें :

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग रूफटॉप सोलर पीवी ग्रिड इन्टरैक्टिव सिस्टम्स

ग्रास/नेटमीटरिंग रेग्यूलेशन के अनुसार रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टाईक पावर प्लाण्ट संयंत्रों की राज्य में निम्न व्यवस्थाओं के अर्न्तगत स्थापना को प्रोत्साहित किया जायेगा।

8.2.1 क्रियान्वयन प्रणाली :

अ. नेट मीटरिंगः

इस व्यवस्था के अर्न्तगत पात्र उपभोक्ता के परिसर में स्थापित रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टाईक पावर प्लाण्ट से उत्पादित सयंत्रों से उत्पादित ऊर्जा का उपयोग बिल्डिंग में उपभोक्ताओं द्वारा किया जाता है तथा बिलिंग कालावधि के दौरान अधिशेष विद्युत, यदि कोई हो, का डिस्काम द्वारा विद्युत प्रदाय के समायोजन के उपरांत, उपभोक्ता को विद्युत प्रदान की जाती है।

ब. ग्रास मीटरिंग :

इस व्यवस्था के अर्न्तगत पात्र उपभोक्ता के परिसर में स्थापित रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टाईक पावर प्लाण्ट से उत्पादित सम्पूर्ण ऊर्जा विद्युत वितरण कम्पनी की प्रणाली में आपूर्तित कर दी जायेगी एवं तदनुसार उसका मापन कर दिया जायेगा।

8.2.2 योजना की क्रियाविधि :

8.2.2.1 सरकारी /अर्धसरकारी/सार्वजनिक संस्थायें :

(i) प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी संस्थानों/अर्धसरकारी संस्थानों/सरकारी स्वैच्छिक संस्थान/सहायता प्राप्त संस्थान/प्रतिष्ठान के कार्यालय भवनों में कैपटिव उपयोगार्थ सोलर फोटोवोल्टाईक पावर प्लाण्ट की नेट मीटरिंग व्यवस्था के अर्न्तगत स्थापना को बढ़ावा दिया जायेगा। इन संस्थानों पर थर्ड पार्टी (रेस्को मोड) {Renewable Energy Supply Company} द्वारा रूफटॉप सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना को बढ़ावा दिया जायेगा। इस व्यवस्था के अर्न्तगत उपभोक्ता एवं थर्ड पार्टी (रेस्को) के मध्य पावर परचेज अनुबन्ध (पीपीए) तथा उपभोक्ता एवं विद्युत वितरण कम्पनी के मध्य नेट मीटरिंग इन्टरकनेक्शन अनुबन्ध किया जायेगा।

(ii) राज्य सरकार द्वारा ग्रिड कनेक्टेड/स्माल पावर प्लाण्ट सम्बन्धी योजना के अर्न्तगत दिये गये नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार की योजना में सहयोग करते हुए प्रदत्त लाभ प्राप्त किये जायेंगे। उक्त के अतिरिक्त राज्य द्वारा शासकीय विभागों एवं सार्वजनिक उपक्रमों की छतों पर रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टाईक पावर प्लाण्ट के क्रियान्वयन संबंधी 'Achievement-Linked Incentive' for Government Sector' योजना में सक्रिय प्रतिभाग किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त समय–समय पर सरकार द्वारा पोषित अन्य सम्बन्धित प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ भी उपलब्ध होगा।

(iii) सभी सार्वजनिक संस्थानों/सरकारी अथवा सहायता प्राप्त अस्पतालों, शोध संस्थानों, शैक्षिक संस्थानों, छात्रावासों तथा प्रशिक्षण संस्थानों, पुस्तकालयों एवं राज्य में स्थित

भारतीय रेल के प्रतिष्ठानों जैसे टिकट आरक्षण केन्द्र, रेलवे स्टेशन, शोध एवं विकास संगठन, अतिथि गृह, हॉलिडे होम, निरीक्षण भवन इत्यादि जोकि सरकार की परिधि के अन्तर्गत आते हैं, द्वारा ग्रिड संयोजित रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टाईक पावर प्लाण्ट स्थापित करने का प्रयास किया जायेगा एवं उससे उत्पादित ऊर्जा का उपयोग किया जायेगा एवं अपनी वार्षिक विद्युत खपत के कुछ प्रतिशत पूर्ति के लिए ग्रिड संयोजित रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टाईक पावर प्लाण्ट की स्थापना करायी जायेगी और सोलर पावर प्लाण्ट से उत्पादित विद्युत का स्वयं उपभोग किया जायेगा। ग्रिड संयोजित रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टाईक पावर प्लाण्ट की स्थापना क्षमता उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के आरएसपीवी रेग्यूलेशन 2015 के अनुसार की जायेगी।

(iv) नोडल एजेन्सी यूपीनेडा द्वारा विभिन्न आवासीय/गैर सरकारी विभागों में थर्ड पार्टी (रेस्को मोड) रूफटॉप सोलर पावर प्लाण्ट हेतु स्थापना की मांग को सकियता से एकत्रित किया जायेगा। यूपीनेडा द्वारा माडल अनुबन्ध एवं स्टेण्डर्ड पीपीए तैयार किया जायेगा तथा टैरिफ निर्धारण एवं रेस्को के चयन हेतु प्रतिस्पर्धात्मक बिडिंग द्वारा किया जायेगा।

ग्रिड संयोजित रूफटॉप सोलर पावर प्लांट की स्थापना हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार किया जायेगा एंव प्रथम चरण में नगर निगम क्षेत्रों के अधिक से अधिक भवनों पर संयंत्रों की स्थापना को बढ़ावा दिया जायेगा।

(v) प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के सरकारी, अर्धसरकारी, राज्य वित्त पोषित संस्थान, राज्य सरकार के निगम तथा वैधानिक संस्थाओं इत्यादि पर ग्रिड संयोजित रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टाईक पावर प्लाण्ट की स्थापना रेस्को से कराने की स्थिति में भुगतान सुरक्षा हेतु बजट प्राविधान किया जा सकता है। उक्त योजना से जनित परिणामो के आधार पर राज्य के सरकारी, अर्ध सरकारी, राज्य वित्त पोषित संस्थान, राज्य सरकार के निगम तथा वैधानिक संस्थाओं इत्यादि पर ग्रिड संयोजित रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टाईक पावर प्लाण्ट की स्थापना के लिए बजटीय प्राविधान भी कराया जा सकता है।

8.2.2.2 आवासीय एवं निजी संस्थायें :

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वाणिज्यक औद्योगिक इकाईयों एवं आवासीय भवनों पर उपयुक्त क्षमता के ग्रिड संयोजित रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टाईक पावर प्लाण्ट उनके परिसर/क्षेत्र में स्थित छतों पर उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किये गये रेग्यूलेशन के अधीन स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।

8.2.3 प्रोत्साहन :

नीति की संचालन अवधि के दौरान पात्र संस्थाओं को ग्रिड संयोजित रूफटॉप

सोलर फोटोवोल्टाईक पावर प्लाण्ट की स्थापना हेतु यथा अनुमन्य निम्नवत प्रोत्साहन उपलब्ध होंगे :

(i) निजी आवासीय क्षेत्रों में नेट मीटरिंग व्यवस्था के अन्तर्गत बड़े पैमाने पर ग्रिड संयोजित रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टाईक पावर प्लाण्ट की स्थापना को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार से देय केन्द्रीय वित्तीय सहायता के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा रू. 15,000.00 प्रति किलोवाट अधिकतम रू. 30,000.00 प्रति उपभोक्ता अनुदान उपलब्ध होगा। उक्त अनुदान का भुगतान लाभार्थी को रूफटॉप प्रणाली के संयंत्र स्थापना एवं कमिशनिंग तथा समस्त अभिलेखों को राज्य नोडल एजेन्सी (यूपीनेडा) को प्रस्तुत करने के उपरांत प्रतिपूर्ति के रूप में किया जायेगा। अनुदान प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धान्त पर प्रथम 100 मेगावाट क्षमता के लिए आन लाईन आवेदन पर दिया जायेगा। परियोजना स्थापना में छह माह से अधिक विलम्ब होने पर यह सहायता यूपीनेडा द्वारा वापस ले ली जायेगी। उक्त अनुदान नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदत्त केन्द्रीय वित्तीय सहायता के अतिरिक्त होगा, जिसका अंतरण राज्य नोडल एजेन्सी के माध्यम से किया जायेगा।

(ii) रूफटॉप सोलर पैनल के माड्यूल स्ट्रक्चर की ऊँचाई को भवन की कुल ऊँचाई जोकि बिल्डिंग बायलाज के अन्तर्गत अनुमन्य हो, के अतिरिक्त आगणित नहीं किया जायेगा। ग्रिड संयोजित रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टाईक पावर प्लाण्ट परियोजना की स्थापना की स्थिति में निर्माण के सम्बन्ध में कोई अतिरिक्त अनुमति स्थानीय प्राधिकरण/निकाय से अनुमति लिए जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

(iii) बहुमंजिला भवनों, आवासीय परिसर, वाणिज्यिक भवन आदि के प्रकरण में ग्रिड संयोजित रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टाईक पावर प्लाण्ट सयंत्रों की स्थापना सामान्य सुविधा क्षेत्र में की जा सकेगी। यह प्रणाली सोसाइटी द्वारा धारित कॉमन मीटर कनेक्शन, थोक कनेक्शनधारी तथा कॉमन सुविधा क्षेत्र के कनेक्शन हेतु होगी, और किसी भी अन्य प्रकरण में यह सुनिश्चित किया जाना होगा कि परिसर में रहने वाले निवासियों के न्यायोचित अधिकार को बाधित न किया जा रहा हो।

(iv) 10 किलोवाट क्षमता तक ग्रिड संयोजित सोलर पावर प्लाण्ट राज्य विद्युत निरीक्षक के निरीक्षण से मुक्त होगा।

8.2.4. मीटरिंग व्यवस्था, विद्युत निकासी वोल्टेज तथा वितरण प्रणाली के साथ संयोजन :

ग्रिड संयोजित रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टाईक पावर प्लाण्ट की मीटरिंग व्यवस्था, विद्युत निकासी वोल्टेज एवं विद्युत वितरण कम्पनी के नेटवर्क से ग्रिड संयोजन की प्रकिया उत्तर-देश विद्युत नियामक आयोग की रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टाईक रेग्यूलेशन समय-समय पर संशोधित के अनुरूप होगी।